

कार्यालय आदेश सं- 225/2022

इंजीनियरिंग विभाग के लिपिकिय/ट्रैकमैन संबर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों का अन्तर-रेलवे/मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण का निम्न उल्लेखित मामला जिसमें दोनों मंडलों की सहमति प्राप्त है, में सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित करने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है, विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	अन्तर मंडल पारस्परिक स्थानान्तरण पर दोनों मंडल के कर्मचारियों का विवरण	पत्र संख्या जिसके द्वारा सहमति पत्र जारी किया गया है।
01	श्री प्रदीप कुमार, कार्याधी/निर्माण अधीन उपमुई/निर्माण/।/हाजीपुर (लियन इंजी० विभाग/सोनपुर), पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थाना० श्री राजेश कुमार, कार्याधी अधीन वमंकाधि/चक्रधरपुर, चक्रधरपुर मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०-ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp. No-133975 दिनांक-28.12.2021 (ii) मरेप्र(का०)/चक्रधरपुर का पत्र सं०-SER/P-CKP/TMS/EP/223/IRMT/RK & PK/2019 दिनांक-11.06.2019
02	श्री सुबोध कुमार सिन्हा, TM-IV अधीन वसेई/पथ/सोनपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थाना० श्री अभय कुमार, TM-IV अधीन वसेई/पथ/किउल जंक्शन, दानापुर मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०- ECR-SEEOPERS(TRAN)/1/2022 Comp. No-152640 दिनांक-17.02.2022 (ii) मरेप्र(का०)/दानापुर का पत्र सं०-E/Engg./MUTUAL TRANSFER/21 eoffice comp. No-149602 दिनांक-22.02.2022
03	श्री रंजन राय, TM-IV अधीन वसेई/पथ/मुजपफरपुर/पूमरे/सोनपुर के साथ पार० स्थाना० श्री अनुराग राज, TM-IV अधीन वसेई/पथ/सिंधवलिया, वाराणसी मंडल	(i) मरेप्र(का०)/सोनपुर का पत्र सं०- ECR-SEEOPERS(TRAN)/31/2021 Comp. No-133975 दिनांक-28.09.2021 (ii) मरेप्र(का०)/वाराणसी का पत्र सं०-NER-BSBOPers (MUTL/4/2020 दिनांक-08.04.2021

उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को विरमित किये जाने पर वमई(समन्वय)/सोन० महोदय का आदेश प्राप्त है। पारस्परिक स्थानान्तरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

01. उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारियों को सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें जिससे संबंधित मंडल को विरमित किया जा सके।
02. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस० पी० ई०/बिज० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानान्तरण अवकाश देय नहीं होगा।
04. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानान्तरण नहीं लेंगे।
05. वरीयता पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(अतुल कुमार)  
सकाधि-

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर  
दिनांक-10.03.2022

सं०-ECR-SEEOPERS(TRAN)/58/2021 Computer No-151626  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमई(समन्वय) एवं वमविप्र/सोनपुर।
02. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(निर्माण)/महेन्द्रघाट, पूर्व मध्य रेल/पटना।
03. मरेप्र(कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल/दानापुर, दक्षिण पूर्व रेलवे-चक्रधरपुर, पूर्वोत्तर रेलवे-वाराणसी, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे-कटिहार - रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-E(NG)I-2017/TR/24 RBE No.-65/2018 dt-09.05.18 के अनुपालन में अपने अधिनस्त कर्मचारी को डीएआर/एस० पी० ई०/बिज० मामलों से मुक्त होने पर इस कार्यालय को रिपोर्ट करने हेतु विरमित करने की व्यवस्था करें।
04. उप० मुख्य० इंजी०/निर्माण/।/हाजीपुर, समई/लाईन/सोनपुर, समई/दक्षिण/मुजपफरपुर-उपरोक्त सोनपुर मंडल के कर्मचारी को सत्यापित पहचान के साथ इस कार्यालय में विरमित करें, ताकि संबंधित मंडल में विरमित किया जा सके। विरमित करने से पूर्व कर्मचारी डीएआर/एसपीई/विज० की सजा से मुक्त होना चाहिए।
05. वसेई/पथ/सोनपुर, वसेई/पथ/मुजपफरपुर
06. कर्मचारी प्रति। 07. अभिलेख प्रति। 08. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयु अजा-अजजा, ओबीसी ऐशो/सोनपुर।

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर